न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 247/2023

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वरजगा पुत्र मेन्दरा 2. वगता पुत्र मेन्दरा 3. मोती पुत्र मेन्दरा 4. जोगा पुत्र गोवा 5. भेरा पुत्र गोवा 6. रामजी पुत्र विरधा 7. तेजा पुत्र विरधा 8. शंकराराम पुत्र विरधा 9. रामा पुत्र विरधा 10. रखु पत्नी विरधा जातियान रबारी निवासीगण हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. वीरा पुत्र चमना 2. गिरधारी पुत्र दला 3. वरजगा पुत्र दला 4. हरचन्द पुत्र दला 5. सावला पुत्र दला 6. नेनू पत्नी दला 7. चेला पुत्र शंकरा 8. राणा पुत्र शंकरा 9. हीरा पुत्र शंकरा 10. सुजो पत्नी शंकरा जातियान रबारी निवासीगण हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री बाबूलाल विश्नोई

विप्रार्थी संख्या 01 के वकील– श्री मुकीम खान समेजा

विप्रार्थी संख्या 02 से 10 के वकील– श्री श्रीराम विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07/04/2026

प्रार्थीगण वरजगा पुत्र मेन्दरा जाति रबारी निवासी हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है–प्रार्थी का खातेदारी के खेत मौजा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा संख्या 119 रकबा 53–3 बीघा किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा संख्या /119 रकबा 7–5271 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 136 रकबा 2–07 बीघा किस्म बारानी सोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

वर्तमान खसरा संख्या 522/136 रकबा 3–1646 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 182 रकबा 41–18 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 550/182 रकबा 5–9408 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 186 रकबा 23–17 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 552/186 रकबा 3–3751 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 505 रकबा 0–03 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 505/434 रकबा 0–0162 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त खसरान वक्त सेटलमेण्ट अणदा पुत्र सोमा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ व चमना, दला, रूगनाथ, सरदारा पिता भीखा के नाम से 1/2 हिस्से में पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी में दर्ज हुआ। प्रार्थीगण अणदा पुत्र सोमा के वारिसान है। इस वजह से वादग्रस्त खसरान के सम्पूर्ण रकबे में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी में बनता है। वादग्रस्त खसरान में चमना, दला, रूगनाथ, सरदारा पिता भीखा के नाम से 1/2 हिस्से की भूमि का पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी में दर्ज हुआ। खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात दला पुत्र भीखा पाकिस्तान चला गया तो दला पुत्र भीखा के हिस्से की भूमि नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 15.01.1995 तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया जो खालसा दर्ज होकर अलग से खसरे कायम किए गए जो क्रमशः 119/1, 136/1, 182/1, 186/1, 505/434/1 रकबा क्रमशः 6–08, 2–16, 5–04, 3 व 1 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 17–14 बीघा बिला कब्जा मुमकिन राजस्थान सरकार के पक्ष में अमल दरामद किया गया व शेष भूमि मूल खसरान में कुल रकबा 123–14 बीघा रही है। मूल खसरान के शुद्धिपत्र द्वारा नए खसरा संख्या 515/119, 522/136, 550/182 व 552/186 दर्ज किए गए। वादग्रस्त खसरान में दला पुत्र भीखा के हिस्से की सम्पूर्ण रकबे में 1/8 हिस्सेदारी बनती है। कम होने पर भीखा के वारिसान चमना, रूगनाथ, सरदारा का हिस्सा सम्पूर्ण रकबे में कम हो जाता है, शेष बचे रकबे में चमना, रूगनाथ, सरदारा का हिस्सा 1066/2474 बनता है व प्रार्थीगण जो अणदा के वारिसान है का हिस्सा 1414/2474 बनता है, लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों में दला के हिस्से की भूमि खालसा क[...]परान्त भी विप्रार्थीगण के हिस्से को यथावत रखा जो सही नहीं है। दला पुत्र भीखा [...] हिस्सा खालसा हुआ है वो चमना, रूगनाथ, सरदारा, दला पुत्र भीखा के 1/2 हिस्से में से कम होकर शेष हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

विप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज करना था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने दला पुत्र भीखा का हिस्सा कम करने के पश्चात भी चमना, रूगनाथ, सरदारा पिता भीखा के हिस्से को यथावत रखा है, जो हिस्सा त्रुटिपूर्ण है। जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का हिस्सा दुरुस्त किए जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः हिस्सा दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत मौजा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा संख्या 119 रकबा 53–3 बीघा किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा संख्या 515/119 रकबा 7–5271 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मूल खसरा संख्या 136 रकबा 22–07 बीघा किस्म बारानी सोयम वर्तमान खसरा संख्या 522/136 रकबा 3–1646 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मूल खसरा संख्या 182 रकबा 41–18 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 550/182 रकबा 5–9408 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मूल खसरा संख्या 186 रकबा 23–17 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 552/186 रकबा 3–3751 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मूल खसरा संख्या 505 रकबा 0–03 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 505/434 रकबा 0–0162 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में प्रार्थीगण का हिस्सा 1414/2474 बनता है जबकि खतौनी में प्रार्थीगण का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/2 दर्ज है, जो सही नहीं है, जिसको दुरुस्त करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकीम खाने समेजा ने वकालतनामा व विप्रार्थी संख्या 02 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/2246 दिनांक 28.06.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. /2025/312 दिनांक 05.06.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ... तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर उपस्थित ... के रूबरू मौका व रेकर्ड का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.22 19:... IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अवलोकन किया गया। ग्राम हाथला के खाता संख्या 49 के खेत खसरा संख्या 119, 136, 182, 186, 505/434 रकबा क्रमशः 53–03, 22–07, 41–18, 23–17 व 0–03 बीघा जुमले रकबा 141–08 बीघा आराजी भूमि संवत् 2049–2052 जमाबंदी(खतौनी) में दर्ज थी। उक्त भूमि के खातेदार दला भीखा का सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा भूमि खालसा घोषित होने से नामांतरकरण संख्या 489 स्वीकृति दिनांक 15.01.1995 से नवसृजित खसरा संख्या 119/1, 136/1, 182/1, 186/1, 505/434/1, रकबा क्रमशः 06–13, 2–16, 5–04, 03, 0.01 बीघा कुल खसरे 5 कुल रकबा 17–14 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की गई। उक्त भूमि के खातेदार गोवा मेन्दरा विरधा पिता अणदा हिस्सा 1/2 के हिस्से में 70 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकर्ड में दर्ज थी, जबकि उक्त खसरों में प्रार्थीगण का हिस्सा शेष रही भूमि में 1414/2474 हिस्सा होना चाहिए। नामांतरकरण संख्या 489 से पूर्व हिस्सा निम्नानुसार था–

क्र.सं.	काश्तकार का नाम व हिस्सा	खसरा	रकबा (बीघा में)	किस्म	वि.वि.
1.	गोवा मेंदरा विरधा पि. अणदा 1/2 हिस्सा वीरा गिरधारी पि. चमना दला रूगनाथ सरदारा पि. भीखा 1/2 हिस्सा कौम रबारी सा. देह खातेदार	119 136 182 186 505/434	53–03 22–07 41–18 23–17 0–03	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	उक्त खसरों में प्रार्थीगण गोवा वगैरा पि. अणदा का हिस्सा 1/2 था, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 70 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज थी।
		5	141–08		

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

कॉलम "अ" (अशुद्ध हिस्सा)

नामांतरकरण संख्या 489 के अनुसार शेष रही भूमि में प्रार्थीगण गोवा मेंदरा विरधा पिता अणदा का 1/2 हिस्सा 61 बीघा 17 बिस्वा दर्ज किया जो कि अशुद्ध है।

क्र.सं.	काश्तकार का नाम व हिस्सा	खसरा	रकबा (बीघा में)	किस्म
1.	गोवा मेंदरा विरधा पि. अणदा 1/2 हिस्सा वीरा गिरधारी पि. चमना रूगनाथ सरदारा पि. भीखा 1/2 हिस्सा कौम रबारी सा. देह खातेदार	119 136 182 186 505/434	46–10 19–11 36–14 20–17 0–02	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.
		5	123–14	

कॉलम "ब" (शुद्ध हिस्सा)

नामांतरकरण संख्या 489 में खालसा घोषित होने के बाद शेष रही 123 बीघा 14 बिस्वा में खातेदारों का निम्न प्रकार हिस्सा अशुद्ध शुद्ध किया जाना है।

क्र.सं.	काश्तकार का नाम व हिस्सा	खसरा	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1.	गोवा मेंदरा विरधा पि. अणदा 1414/2474 हिस्सा वीरा गिरधारी पि. चमना रूगनाथ सरदारा पि. भीखा 1060/2474 हिस्सा कौम रबारी सा. देह खातेदार	515/119 522/136 550/182 552/186 505/434	7–5271 3–1646 5–9408 3–3751 0–0162	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.
		5	20–0238 हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अतः नामांतरकरण संख्या 489 में शेष रही भूमि में उक्त खातेदारों की अशुद्ध हिस्सा प्रविष्टि को कॉलम 'ब' अनुसार हिस्सा शुद्धि किया जाना उचित है।"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। विप्रार्थी संख्या 02 से 10 के अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 247/2023 उनवान वरजांगा वगैरा बनाम वीरा वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल हाथला के राजस्व ग्राम हाथला के खसरा संख्या 515/119 रकबा 7–5271 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 522/136 रकबा 3–1646 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 550/182 रकबा 5–9408 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 552/186 रकबा 3–3751 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 505/434 रकबा 0–0162 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 में दर्शित कॉलम "ब" अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/312 दिनांक 05.06.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.12.2024, जमाबंदी अभिलेखं आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक .... को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:05 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा